Drug to Cure AIDS

*533. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the claim of a Kanpur based Ayurvedic Doctor as reported in the Pioneer dated 21st March, 1994 to the effect that he had found a cure for AIDS;

(b) if so, whether Government have obtained details of this discovery ; and

(c) whether any attempt is being made to market this drug ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The drug is learnt to be a combination of hepato-pro-tective and immunopotentiating herbal preparations. Conclusive results can only be available from controlled clinical trails. Marketing of drug is in the private sector.

तटीय क्षेत्रों को वर्गीकृत करने हेतु तटीय प्रबंधन योजनायें

*534. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने हेतु राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात सरकार को अपनी तटीय प्रबन्धन योजनाओं का प्रारूप भेजने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सा.का.सं. 114 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 1991 के तहत अधिसूचित तटीय क्षेत्र विनियम में यह अपेक्षा की गई है कि गुजरात सहित तटीय राज्यों और संघ शासित राज्यों की सरकारें अधिसूचना में दिए गए दिशा-निदेशों के अनुसार क्षेत्रों का विभिन्न श्रेणियों में अभिनिर्धारण और वर्गीकरण करते हुए तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाओं का प्रारूप तैयार करें।

(ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

तमिलनाडु, केरल, गोवा, पांडिचेरी, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने अपनी प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाएं मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को भेजी हैं। इस प्रकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाओं की इस प्रयोजनार्थ गठित कृत्यक बल द्वारा जांच की जा रही है। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

गुजरात राज्य सरकार से प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे अन्य मामलों में जहां अभी तक प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, सरकार ने संबंधित राज्य सरकार के साथ उपयुक्त स्तर पर मामले को उठाया है और उनको अपनी प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा उसको स्वीकृति हेतु मंत्रालय को भेजने की सलाह दी है।